संख्या–5/बजट 1–02/2017 सा0–38

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली, सारण, भोजपुर, सिवान, सीतामढ़ी, अररिया, पटना, नवादा एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक–22-11- 2017

विषय:– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 8,69,50,000/– (आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 8,69,50,000/– (आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जायेगा।**

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।

8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

कृ0पृ0उ0

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

संख्या–5/बजट 1–02/2017 सा0–....................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली, सारण, भोजपुर, सिवान, सीतामढ़ी, अररिया, पटना, नवादा एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक– 2017

विषयः– **बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 8,69,50,000/– (आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001–जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 8,69,50,000/– (आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जायेगा।**
4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

कृ0पृ0उ0

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या–5/बजट 1–02/2017 सा0–......38....................../ पटना, दिनांक–22-1/ /2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, सारण, भोजपुर, सिवान, सीतामढ़ी, अररिया, पटना, नवादा एवं दरभंगा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

Des/bir/Alot-093/latter/p-24

वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–0001–जिला प्रशासन) आवंटनः–

क्र0 सं0	विषय शीर्ष	ईकाइ मद	वैशाली	सारण	भोजपुर	सिवान	सीतामढ़ी	अररिया	पटना	नवादा	दरभंगा	कुल
1	01 01	वेतन	40,00,000	40,00,000	60,00,000	0	0	0	60,00,000	0	50,00,000	**250,00,000**
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	70,00,000	40,00,000	250,00,000	0	0	0	100,00,000	0	10,00,000	**470,00,000**
3	01 04	मकान किराया भत्ता	5,00,000	9,00,000	40,00,000	0	0	0	30,00,000	0	5,00,000	**89,00,000**
4	01 06	चिकित्सा भत्ता	5,00,000	5,00,000	5,00,000	0	0	0	5,00,000	0	3,00,000	**23,00,000**
5	01 07	अन्य भत्ता			2,00,000	0	0	0	2,00,000	0	2,00,000	**6,00,000**
		वेतन–भत्ता का योग –	**120,00,000**	**94,00,000**	**357,00,000**	**0**	**0**	**0**	**197,00,000**	**0**	**70,00,000**	**838,00,000**
6	11 01	यात्रा व्यय	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	**50,000**
7	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	0	0	0	0	3,00,000		0	0	**3,00,000**
8	28 02	संविदा सेवाएँ	0	0	0	5,00,000	5,00,000	0	10,00,000	0	8,00,000	**28,00,000**
		कुल योग–	**120,00,000**	**94,00,000**	**357,00,000**	**5,00,000**	**5,00,000**	**3,00,000**	**207,00,000**	**50,000**	**78,00,000**	**869,50,000**

(आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग